


Date  
11-Sep-2017-18


## पारदर्शिता रखें जवाबदेही (Transparency & Accountability)

संगठन



Closed System  
बंद व्यवस्था

संगठन एक-दूसरे को  
प्रभावित नहीं करते हैं।  
जो लोगों द्वारा किये गये कामों  
में वे ही हैं।



Open System  
खुली व्यवस्था

संगठन एक-दूसरे को प्रभावित  
करते हैं।

पारदर्शिता का अर्थ यह है कि आपना काम प्राप्त रखने के लिए भविष्यारण करते हैं। जो शासन व्यवस्था विकास में लोगों ने अधिक से अधिक योग्यता दी है तो उसका उपयोग किया जाए। जो लोगों ने लिए भाज़ व्यवस्था के लिए योग्यता दी है तो उसका उपयोग किया जाता है।

यह प्रशासन व शासन के बारे में लोगों ने जानने का अवकाश देती है। इसका अर्थ है कि नियंत्रण करने पर भंगुरालगाती है। और शासन की प्रत्येक गतिविधियाँ में लोगों ने प्रभावी मानी दारी किया सकता है। यह शासन के लोगों के नियंत्रण का प्रभावी भवजर अथ उपलब्ध नहीं है।

भारत में प्रशासन रखें शासन व्यवस्था की प्रकृति गोपनीयता पर आधारित रही है। गोपनीयता पर माध्यारित फायदे नियंत्रण के लिए लायलियी गोपनीयता आधि - 1923 वर्ष की नियमिति द्वारा गोपनीयता को नियंत्रण करना चाहिए। यह नानूत नियमों की व्याप्रिणाली को गोपनीय बनाता है और उन्हें लावजानिति व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है।

करता है भर्दे शाखा ने अनुस्पृष्ट इज ग्राहन के ५ माहों की समाप्ति परने के लिए सुचना जा अधिकार अधिनियम - २००५ निम्ने

किया गया है। यह प्रत्येक स्थान ने विभागों से सुचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। इलाके न्यायिकी गोपनीयता अधिनियम के समाप्त नहीं किया गया है।

इस प्राचार देश में पारदर्शिता की प्रोत्साहन निम्न लिखित दो साधनों पर विलम्बित किया जा रहा है-

(I) सुचना जा अधिकार।

(II) ~~ई-गवाविद्युति अस्था असंख्य जा डिजिटलीकरण~~

**जवाबदी (Accountability)**

A - अधिकार

B - दायित्व

Accountability

नेतृत्व भाष्यार बाध्यता के अधीन (ग्राहन, फिल्म, अन्यायालयीक नियम, आदि)

अन्यायालयीक नियम, आदि

उत्तरदायित्व जवाबदी

(Responsibility)

जवाबदी जा धर्यहै निम्नों द्वारा निवारित करना। यह यह निम्नों द्वारा निवारित करता है जो धर्यहै निम्नों द्वारा निवारित करता है। तब उसे जवाबदी जी जंशादी जाती है।

जवाबदी शाखा व्यवस्था में संवेदनशीलता का विनाश करती है। यह संशाधनों के दुर्घटनाएँ, प्रबृह्यत्वार रखने अधिकारों, शास्त्रियों के दुर्घटनाएँ पर धंकुश लगाती है। यह एक अपना यह सुनिश्चित नहीं है, कि नियमों रखने वालों द्वारा जा उनकी भावना

के अनुरूप नामनियन किया जाये रखें जन-जन तक सरकारी जाये।  
जमीं ना लाभ प्रभावी तरीके से पहुँचाया जा सकें। यह शासन भी  
गुणवत्ता में कृदिदर्ती है रखें जीवों के लिए वराह के लिए  
शासन भी गुणवत्ता सुनिश्चित दर्ती है।

### जवाबदी के प्रतीक

राजनीति	प्रशासनिक	व्यवसायिक
जवाबदी	जवाबदी	जवाबदी
↓		

राजनीति जवाबदी का समैहै, तो राजनीति संरक्षणीयों विषय, विभाग (ए) राजनीति मूल्यों, सिद्धान्तों भावगति प्रति जवाबदे बनाया जाये।

प्रशासनिक जवाबदी का अर्थ है कि प्रशासन जुड़े रुपे पदा-  
धिकारी रखें और संरक्षणीयों के प्रशासन ने सिद्धान्तों, आदर्शों रखें मूल्यों के  
प्रति जवाबदे बनाया जाये।

व्यवसायिक जवाबदी का अर्थ है, तो विभिन्न पदों वर पादासन लोगों के माध्यम संवाद, प्रथम क्षेत्रों से लंबवंधित नीतिक भावों, सिद्धान्तों  
आदर्शों, गत्तृतों, नियमों विधानि के प्रति जवाबदे बनाया जाये।

लोकतांत्रिक जवाबदी का अर्थ है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों और  
लोगों के प्रति संवेदनशीलता, लोगों की भागीदारी भावि के प्रति जवाबदी  
सुनिश्चित भी जाये।

### भारत में जवाबदी

र-पतंगता के पश्चात् सिविल प्रशा. रखें शासन व्यवस्था में  
उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया गया न हो जवाबदी।  
बल प्रशा अन्यों छवियों अपनाया गया। यही कारण है, तो  
शासन व्यवस्था में धनेश्वरोप विद्यमान रहे हैं जिन्हें वर्तमान समय में  
स्माइ शासन की मवद्यारणा के प्रत्यक्ष जवाबदी के विकास पर

बल दिया जा रहा है

जावाबदी के बाधन

जावाबदी विवरित करने का प्रमाणी तरीका लो यही है कि व्यूपूर्ण व्यापक सम्बन्ध में आमूल न्यूल परिवर्तन किये जायें। और नई भावशयकता के ग्रन्ति नहीं संरक्षित, जो अप्रियाली चीज़ों का नियमण किया जाये, इन्हें व्यापारिक डिविलियन से यह संवेदन है कि अन्तः नि. लि. योक्तव्यनामों के विकास के माध्यम से व्यवसायी भाने का प्रयाप किया जा रहा है:-

- (I) सिलिजन चार्टर (नागरिक अधिकारों पर)
- (II) सुधना का अधिकार
- (III) सिविल समाज की विधानी
- (IV) रसायनिक परिक्षण (Chemical Analysis)
- (V) इंडीसिल उत्पादन (Industrial Products)
- (VI) उपयुक्त जन विकास कारणों लंग जा विकास
- (VII) भ्रष्टाचार (Fraud etc.)

सूचना का अधिकार - 2005  
 (Right to Information) - RTI

**विशेषताएं / प्रावधान -**

- (i). भावितियम् जि उद्देश्यम् के अनुलाल  
 यह शासन में पारदर्शिता प्रवाहित हो जी स्थापना करेगा।
- (ii) किसी व्यक्ति को बिना भारण कराये हुये छली जाने के बाद उसका योग्य  
 भी सूचनाम् प्राप्त करने का अधिकार होगा। सूचना का यह है, ऐसे  
 संगठनों में रखी जाने वाली जानकारिया, जैसे इनका नाम, रजिस्टर, दस्ता-  
 को इत्यादि।
- (iii) सूचना मांगने के लिए अविद्या विभागी नियमित प्राप्ति नहीं है। इस  
 प्राप्ति मात्र 10% के न्यूनतम् राशि पर सूचना मांगी जाएगी है।  
 गरीबी रेखा से नीचे विवरण नहीं करने वाले लोगों को यह शुल्क  
 देना चाही होगा।
- (iv) सूचना मांगने के लिए अप्राप्ति अभ्यावधि नियमित नहीं है। भाविद्या प्राप्ति  
 जीवन्यम् के 30 दिन के भीतर सूचना दी जायेगी। यदि पुर्यना दृष्टीय  
 पढ़ा जै जानी है तो 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।  
 अविद्या जी लुरक्षा जै जुड़ी पुर्यना 48 घंटे जै शीतर दी जायेगी।
- (v) द्वितीय अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है:-
- (vi) प्रथम अपील 30 दिन के भीतर विभाग के प्रथम अपीलीय भाविकारी  
 के उम्मीद 12 नी होती है, जो भापील का निपटारा 30 दिनों में 15 दिन  
 आवश्यकतानुलाल वह 15 दिन का अतिरिक्त समय ले जाता है।
- (vii) द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर द्वितीय जुर्यना आयोग / राज्य सूचना  
 आयोग के उम्मीद 12 नी होती है जी जायेगी।
- (viii) समय पर जुर्यना 8 प्रतिशत न जरने वाले वापी भाविकारियों पर 250  
 Rs. प्रतिदिन की दर से भावितम् 25000 Rs. का नुमना लगाया

## लगाया जा जाता है।

(vii) भ्रष्टनियम की धारा 8 कुह भापवादीक्षणों के निवारण करती है परिणामस्वरूप देश की सुरक्षा अधिकारियों, विदेशी मानसों, वैद्या-निः भादि शोधों इत्यादि के जुड़े हुए विषयों पर सुचनाएं नहीं ही आयेगी।

**प्रभाव / भूत्व -** (i) इनके शासन के पारदर्शक नियमों के लिए योगदान दिया है और लोगों तक व्यापार विषय में जानकारी पहुंचाना सरल बनाया है।

(ii) इनके अवधार पर नियमण लगाया है।

(iii) इनके लोकप्रियों को भ्रष्टने के लिए उनके निवारण के प्रति विदेशी शर्वं जवाबदेह बनाया है।

(iv) इनके लोगों के शासन के लिए इराक कम की ओर शासन के लोगों की आगीदारी को प्रोत्तर किया दिया है।

(v) इनके लोगों को अन्य देशों, वंचितों को न्याय दिलाने, भ्रष्टार दिलाने वा अद्यतीती रक्षा करने में प्रभावी भूमिका निमार्दी है।

(vi) इनके शासन को आपनिवेशन लक्षणों से मुक्त करने से दोषों को छुरने में प्रभावी भूमिका निमार्दी है।

### सीमाएं / भालोचना -

(1) भ्रष्टनियम की भावना के मनुस्त्र विभाग ने सुचनाओं को खत: अधिक से अधिक रूप छरने में प्रभावी भूमिका नहीं निमार्दी है। अतः लोगों के लिए विभागों की व्यवस्था आवश्यक जानकारिया इवमेव उपलब्ध नहीं है।

(2) भ्रष्टनियम में दण्ड का प्रावधान छमजोर है। अतः यह निरुद्ध भ्रष्टारियों पर सुचनाओं की उपलब्धता है तथा वाध्यता मारोपील नहीं जरता।

- (iv) अधिनियम में आयोगों के लिए भागलों को निपटने की नोडेलमय सीमा निर्दिष्ट नहीं। अतः मायोग विलंभकाशिका के शासार उसे है
- (v) विगत वर्षों में सुचना छाड़ियार नायकतावी जि सुरक्षा चुनौती औ प्रश्न रखा है इन दबाव में पोच दर्जनों से मधित नायकतावी जि छत्या के कुरी हैं।
- (vi) नायकतावी शोपनीयता अधिनियम अंतरा कियो घामों को भी बढ़ावा देता है जिसके द्वारा विगत वर्षों में 'जीव प्राधिकारी' वाले की वारदा अंतर्थानों ने मनमाने देंगे जो हैं पॉर्ट ब्रेक वियम छेदामर्द में भाने से बचने की प्रकृति रखी हैं।
- (vii) जोगों की पर्यावरण जागरूकता के विषयावाने इनके महत्व को बीमाल छिया है।

Date  
12.11.18/143

## लोक प्राधिकारी से पंचविंशति विवाद (Public Authorities)

विगत वर्षों में सुचना के अधिकार माधिनियम में प्रयुक्ति किये जाए लोक प्राधिकारी शहर की द्रवित रखने लंबी व्याख्या नहीं करते ही प्रष्टि विगत वर्षों में उपचार हुई है। परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग शास्त्रीय राज्य, देश, उत्तराखण्ड दल के लोक सुचना भाषण के नियम देने के पश्चात भी आवश्यक सुचनाये देने के लिए बहुत रहे हैं शास्त्रीय दलों ने इसका धीमा नहीं कर दी, जिसे लोकीय सुचना आयोग के आदेश द्वारा भानने के लिए बाह्य नहीं है पारिणामस्वरूप में पढ़ी जायेगी। इसी प्रणार UPSC न्यायालय के अधिकारों के बाद उनीय प्रधन मार्यादा के नियम मानने दुये UPSC के प्रारंभिक परीक्षा के अंत में उपर्युक्त आवजिनिक जरने के असततो हो गया, जिसे उनीय ने इस नियम के मानने के लिए आवश्यक और राज्यकीय दोनों चीजों को सावित कर दिया।

उपर्युक्त इन लिए आठतांत्र के लिए शुभ माने जाए हैं इन सफल संस्थाओं का संस्थान का अधिक से अधिक पारदर्शी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जन समर्पन कार रखने सिविल सेवाओं के प्राकृतिक जारी रखना, भाजीदारी नियांदी जानी-चाहिए और उन्होंने में अंशोधन के उपर्युक्त लोकी संस्थाओं को नाम देने अंतर्गत आने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

नागरिक अधिकार पत्र  
(Citizen Charter)

नागरिक अधिकार पत्र का मर्म हैँ, कि विभागों द्वारा लोगों को की जाने वाली सेवाओं को वचनबद्ध और प्रतिबद्ध तथा समयबद्ध तरीके से नागरिकों द्वारा अधिकार (Right) के रूप में उपलब्ध ठहरा। इस प्रकार यह विभागों द्वारा घोषित किया जाने वाला ऐसा दस्तावेज़ हैँ, जहाँ विभागों द्वारा ली जाने वाली सेवाएँ नागरिकों के नियमों का नियमित ढरती हैँ और विभाग समयबद्ध तरीके से उन अधिकारों का उपलब्ध ठहराने के लिए वचनबद्धता प्राप्त ठहरा हैँ।

~~इस सर्वात्मका वी शुरूवात ब्रिटेन में 1991 औन मेजर द्वारा~~

में जी गई। उन्होंने धीरणा के लिए अद्यतन विभागों द्वारा की जाने वाली सेवाओं पर बल लिया था, जिन्होंने वबल बदल दुगा हैँ। और इब नागरिकों के लिए ब्रिटेन में 'चारि चारि' नामक योजना प्राप्त हुई। प्रत्येक साल की चारि चारि योजना मनिवारी ढोना हैँ। यह एक स्वायत्त संज्ञेय द्वारा व्यक्ति प्रवान किया जाता हैँ और सम्पर्क के द्वारा एक रिव्यू पुनरिक्षण किया जाता हैँ। (Review) ब्रिटेन में सिविल चारि चारि द्वारा इसे हेतु नि. लि. सिविल अपनाये गये हैँ:-

- (I) प्रत्येक सेवा के लिए मानकों की धोषणा करना और निष्पादन स्तर (Performance level) की धोषणा करना।
- (II) समयबद्ध सेवाएँ सुनिश्चित करना।
- (III) सिविल चारि चारि के नियमों में लोगों द्वारा सिविल समाज की मानी-दारी सुनिश्चित करना।
- (IV) उपयुक्त feedback तंत्र का नियमित इसना।
- (V) शिक्षण तथा शमाल की व्यवस्था करना।
- (VI) सिविल चारि चारि में निरंतर सुधार एवं विनाश करने रहना। (Update)

## भारत में सिटिजन-पार्टी


1996-97 के मुख्यमंत्रीयों द्वारा मुख्य सचिवों द्वारा सम्मेलन के बाद सुधारों हेतु निभिति दी गई शायदीयोजना के अनुग्रहीत भारत में भी सिटिजन-पार्टी की धीमणा की गई राष्ट्रीय सरकार द्वारा अनुच्छेदित विभागों द्वारा राज्य सरकारों ने सिटिजन-पार्टी धोषित किया है। II ARC की भारतीय प्रशासनिक (लोड) संस्थान प्रबन्ध विधायिकाओं द्वारा धोषित किये गये सिटिजन-पार्टी की धरणीयता द्वारा देश प्रभावी नहीं बताया है। सिटिजन-पार्टी में लिपि लिखी गयी अमियां विद्यमान हैं:—

- (I) सिटिजन-पार्टी की खराब गुणकला।
- (II) — " " " " लिपि लिखी गयी गुणकला।
- (III) धोषित किये गये सिटिजन-पार्टी की भारतीयों की जन्मनवृद्धता, जन्म और वृद्धता आदि का अभाव।
- (IV) सिटिजन-पार्टी के लोगों और लोगों की भारीतारी का अभाव।
- (V) उपयुक्त जीड़वेक योजना का अभाव।
- (VI) प्रशासन की विभिन्न शालीन रूपरूपीति, जिसके नारण प्रशिविपारदरिगी ना भवति।
- (VII) उपयुक्त शिक्षयन निवारण कंश का अभाव।
- (VIII) सिटिजन-पार्टी की मात्र आपचारित तरीके के प्रस्तुत करता।

### उपाय-

- (I) विभागों में नए प्रशासनीयी में परिवर्तन किये जाये और नई विधायिका के दोषों का निराकरण किया जाये।
- (II) विभागों का नाम वाली सेवायों का मानकीकरण (भानु धोदिल) किया जायें।
- (III) सेवायों के निष्पादन के मानक रूप से तरीके सुनिश्चित किये जायें।
- (IV) " की उपलब्धता में समयवृद्धता सुनिश्चित की जाये। इसका उपलब्धता से पालन हों और अवैधतिकता करने वाले एवाधिकारीयों के

- लिए उपयुक्त कामवाही का प्रावधान किया जायें।
- (v) लोगों, सिविल समाज ने खेंगडों मादि भी प्रभावी भागीदारी उनिश्चित भी जाये। सिटिन चार्टर के निमित्त से पहले इनसे उपयुक्त पर-  
मशी किये जाये।
- (vi) उपयुक्त कोड बैठक तेज निमिति भी जाये, जिससे सिटिन चार्टर पर  
प्रभावशीलता का नियंत्रण आकलन किया जाता है।
- (vii) सभी पर सिटिन चार्टर को आवश्यकता के अन्तर्गत किया जाये।  
इनके लिए नियंत्रण रोध, विकास, उत्तरवाची किया जाये।
- (viii) ब्रिटेन आदि देशों में सिटिन चार्टर को उत्तरवाची के स्थान किया  
जाये, जिसपे इनकी उपयोगिता के स्वाक्षर जारी हों।
- (ix) एठ निष्पक्षता तेज नियंत्रण नियमों तेज निमिति किया जाये जो  
सिटिन चार्टर की नियंत्रण रोध प्रभावशीलता पर निष्पक्षता तरीके  
से नियारानी कर सकते हैं, संग्रह ठर सकें।



**IAS**



सिविल समाज की भविधारणा द्वारा डी.एस.एल. का प्रतिपादित हो गई। डी.एस.एल. ने प्राष्टित एवं सिविल समाज से मलग सिद्धि समाज की भविधारणा का प्रतिपादित किया। इस प्रकार सिविल समाज, अंतर्गत समर्थन एवं समर्थन द्वारा राजनीतित समाज सम्मिलित हो गई है।  
 Ex - पर्म आधारित संगठन, जाति आधारित संगठन, महिलाओं का संघ, व्यापारियों का संघ आदि।

विषय वर्षी में सिविल समाज के सकारात्मक भूमिका का निपादित किया है।

यह भविधारणा मूलतः परिचयी देशों में विकसित हुई। यह सिविल सरकार के सहयोगी घटक के रूप में विकसित हुआ, जिसने समुदाय आधारित साधन व्यवस्था को जन्म दिया है।

४ पर्यागिता / म ६७ -

(1) मेरी लीगों की उनके अधिकारों के विषय में शिक्षित व प्रशिक्षित करते हैं और लीगों के सभ्य जागरूकता का विनाप लेते हैं।

- (vi) ये लेक्षित समूहों जिपह्यान करते हैं और उन लशी तक नीलियों  
जा भाव पहचाया जाना सुनिश्चित करते हैं।
- (vii) ये सरकार एवं लोगों के बीच लिंकिंग पिन (Linking Pin) का काम  
करते हैं।
- (viii) ये शाखात प्रशाखान में पारदर्शिता एवं जपानदेशी सुनिश्चित करते हैं।
- (ix) ये लोड हिनों के प्रबृही के रूप में छापे करते हैं। 
- (x) शाखा जि गुणवत्ता विषय में कष्टिद तथा असुरक्षित यांत्रिक देते हैं  
और शाखा के भांतराल को पूर्ण करते हैं। 
- (xi) ये मेरे नागरिकों ने मारीदारी का छाप लगाया है। 
- (xii) ये प्रबलपार पर नियंत्रण के रखना में सहायता है।

## भारत में सिविल समाज

भारत में सिविल समाज की अवधारणा 1970 के दशक से बढ़नी थी, फिर उपर्यामी देशों के विपरित यह सरकार के विरोधी धर्षण के रूप में विनाशित हुई। सरकार या. भा. विकास शाह गृहन करने में पूर्ण रूप से खफ़ल बही थीं राष्ट्री। भत! सरकार की अप्रभाविता की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप सिविल समाज 10 विकास हुआ और इनेछ क्षेत्रों में इनके प्रभावी भवितव्य निवाही किया।

Ex - बालशाह उम्मीदवार वचन वक्तव्य विवरण अंतर्भूत व लोगों के लिए चिपके आदोलन घोर और वास्तविक अप्रभाव राष्ट्रीयरेट की भूमिका, जुनून के अधिकार लिए मोदीलन, ऑडियोल के लिए मांदोलन, प्रोत्साहन आपृष्ठि की उपलब्धता, भिड़ मील एवं

समाजी-

भारत में सिविल समाज ने शार्फ लगा, भूमिका नहीं निवाही तकीया ईकाउ भनेछ ऐसे भवजर उपलन कुछ जब लोगों के लिए रखता है, लेकिन, भेदभाव की मावला को जड़ाव दिया गया। इंजाम प्रोत्साहन दिया गया है, लोगों एवं जावजिनिक सम्पत्ति की हक्कि पहुँच गई है। वहाँ सिविल समाज का आवरण नहीं जापना। सिविल समाज शोत्र व सद्भाव की स्थापना पर बल देना है और इस भानक जुआय भीगो रहे हैं तो वे रहा है इन्हे प्रोत्साहित नहीं है। उपर्युक्त विवरण को इर नहीं है तो सिविल समाज की स्वयं चिंतन करा होगा और अपने इनियों नी व्यापक रूप से प्रभाविती बनाना होगा।

Date  
13-Sept-19-Wed

## सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit)

लेखा परीक्षण (Audit)

आयव्यय  
विवरण

आयव्यय  
जी जाँच प्रताल

विधियाँ-

नियमिता लेखा परीक्षण	जी जाँच	बोगे न्यादा - CAG
ओन्हित्य	"	करता है
निष्पादन	"	करता है
उपरक्षा	"	
सामाजिक	"	
विभास	"	

भायव्यय विवरण लेखा परीक्षण हैं क्षेत्र भायव्यय के विवरण  
जी जाँच प्रताल के साथ लेखा परीक्षण एवं उपरक्षा के अन्वय लेखा परीक्षण  
जी यह गतिविधि सामाजिकों के छठिणीय से उन्हें लेखा परीक्षण है  
याम में भागीदार वर्गों द्वाये सम्पन्न थी जाये, तो इसे सामाजिक उरका  
परीक्षण कहता है। साथ लेखा परीक्षण लेखा परीक्षण की गतिविधि जो  
आधुनिक प्रमाण वर्कमें उपयुक्त तरीका हैं।

महत्व/मर्यादिता - (i) यह शाजन में जवाबदी सुनिश्चित छरता है।

(ii) यह लेखा परीक्षण व शाजन जी अन्य गतिविधियों में लोगों जी प्रभावी  
भागीदारी सुनिश्चित छरता है।

(iii) यह स्थानीय स्तर पर लोकों को मजबूत बनाता है।

(iv) " " " " नीतियों के शक्ति नियमों के अन्वयन के  
प्रभावी बनाने में सहायता होता है।

(v) यह शाजन व प्रशाजन के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में घेहतर की बोगे  
उपलब्ध छरता है, जिससे न्यौनियि व्यवहारिक उत्तराल पर अच्छी  
तरह दो निरजा संतो हैं भ्रष्टा व्यावहारिक योजनायें बनायी जा  
सकती हैं।

(vi) इन प्रश्नों से यह देश ही सा. ऐसी जी अप्योगिता ने खुनिस्विव  
छला है।

## भारत में सेवा परीक्षण (लामाजित)

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारी छालों का परिषिक्षण करना है।  
वह लेरेखा परीक्षण भी पारम्परिक विधियों अथवा नियमों का लेरेखा  
परिषिक्षण द्वारा औचित्य लेरेखा परीक्षण का प्रयोग करता है।

" इप वाल छी जांच प्रता है, तु धन ठा प्रयोग (नियमो) गव्हनो  
ठे भनुमार ठिया गया है या नहीं। औंचित्य लेखा अधिकारीय यह जांच  
प्रता है, तु धन ठा उपयोग भितव्यता रखा तो उत्तरालतापूर्वक ठिया  
गया है, या नहीं। इप प्रश्नार लेखा परीक्षण तो आधुनिक सकारीजी  
निव्विदन लेखा परीक्षण, व्यवस्था ठाड़ा जाऊ, बुद्धाम लेखा परीक्षण था  
ठा अथाप है।

~~मनरेगा के लिए गति तक लेखा परीक्षण लागू करने के प्रावधान किया गया है। मनरेगा के कायवियन के प्रारंभिक वर्षों में या लेखा परीक्षण लागू की दुमा, परिणामस्वरूप इस जायकृष्ण भनेंगे। वर्ती विधियमनकामें अब भव्याचार के भारोपलगी हैं। अब मनरेगा कार्यक्रम से लागू किया जारहा है और जासा, ज्ञेय परीक्षण का धर्मिणशत: अपनाने जी प्रणति बड़ी है औंच्छा। गुजरात, उडीसा आदि राज्यों में जब १००% Audit का लागू किया गया, इसने भव्याचार के अवभासों को कमजोर किया है। अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने पर इसने भव्याचार को २% पर लाईमिट ठर दिया है, जिन्हें यह परिणाम सभी स्थानों पर रख दीजे नहीं है। क्योंकि १००% Audit को मलांग-२ तरीके से लागू किया गया है उडीसा में १००% Audit के माध्यम से रोजगार रजिस्टर~~

अनियमिततामें - भुगतान की अनियमित अनियमित-  
ताये साथने मार्वे। यह पता-चला, तु लेखे लेगो और देके रिये, पृ-  
जिन्हे २२०१२ बारा फाली-खुची (Black Listed) किया गया है।

२८मार्गः-

- (i) भारत मनसे गा में लागू किया गया, विंलु प्रे-देश पर्याप्ति विधि है। जैसा प्रभाव बाधी नहीं है। UP, बिहार और झारखण्ड राज्य हैं, जहाँ इन्हे अवश्यकताएँ से लागू किया गया हैं।

(ii) शासन खंड सम्बालन विधि संस्थाओं में अधिकार पारदर्शिता नहीं है, जबकि ३००००० एकड़ियां पारदर्शिता विधि अपेक्षा छह गुना है।

(iii) लोगों द्वारा भाग्य जागरूकता खंड उनकी प्रभावी भागीदारी अभाव है, जबकि ज्ञा. भेरखा परीक्षण विधि सफलता का भागीरही भागीदारी है।

(iv) संघ खंड राज्य विलेखाओं का परीक्षण विधि विवाह परीक्षण विधि आवृत्ति तकनीकों का अभाव है। परन्तु कानूनों का नायालिय विधि गाल विधि देन है।

## ३ पायः -

- उपाय :-**

(i) संस्कृत विद्या के बहुत अधिक विद्यार्थी को लेखा परीक्षण, निष्पादन लेखा परीक्षण, किंवा लेखा परीक्षण इत्यादि सेन्ट्रलनामों को आव. अनुसार शामिल करना चाहिए। (A-149 के अंतर्गत)

(ii) पश्चिम भारत निष्पादन घर शासन रखने प्रशासन में पारदर्शिता का विकास करना चाहिए।

(iii) भोगा व शासन रखने प्रशासन की गतिविधियों के विषय में प्रशिक्षित व शिक्षित जना चोगा, जिससे के गुणकलाई लरीजे से भागीदारी निभा सकें।

## टिड्सिलब्लोअर (Whistleblower)

⇒ Whistleblower Act - 2014 (Protection Act)

टिड्सिलब्लोअर वह व्यक्ति हैं, जो किसी विभाग से जुड़ी हुई अधिकार अनियमितता अधिगतों के उत्पयोग या किसी अपराध इत्यादि की सुचना को प्राप्त करता है एवं उसके विरुद्ध आवाज 3 दिनांक हैं। विभागों के ऐसे व्यक्तियों ने संरक्षण दिया जाता था, है, जिसके टिड्सिलब्लोइंग के पश्चात् उनकी सुरक्षा नहीं दिली जा पाती है।

### भारत में टिड्सिलब्लोअर नियम

भारत में टिड्सिलब्लोअर नियम का मुख्य NHAI के इनी नियर सत्यें हुवे की बताते हुए नियम इत्यत हुआ। परिणाम- एवरप इस घटना के बाद, 2014 के टिड्सिलब्लोअर संरक्षण भाष्य, 2014 पारित किया, जिसके अंतर्गत WB की संरक्षण देने हुये उपके विषय में नानकारी के रूप से इनीय अपराध घोषित किया गया।

### विवाद

WB Protection Amendment - 2015 टिड्सिलब्लोइंग की शोधन विधयक - 2015 प्रस्तुत किया गया, जिसके पाइया ये टिड्सिलब्लोअर भाष्य में सरोकरने हुये 10 शोणीयों की सुचना की आपवादि दोष बना दिया। मध्यवि जैसे- डेविनेट की नायिका, देश की सुरक्षा, बोर्डिंग सम्पदा एवं सेवा के विषय भाष्य इन विषय पर टिड्सिलब्लोइंग नहीं की जा सकती।

यह भी प्रावधान किया गया, कि जो सुचनायें शायलीयी शोषनीयता भाष्यनियम - 1923 के अंतर्गत नहीं हो जा सकती, उनकी टिड्सिलब्लोइंग नहीं की जायेगी। यदि लीजिंग में जोरी सहाय अधिकारी प्रतिवादित हो गई 10 शोणीयों के संबंध में शोरी सुचना आपकरता है, तो ऐसी दशा में उसके पारा लिया जाया जाये नियम भाष्य- गती होगा।

यह भालोचता जी गई, कि यह संशोधन विद्युत बलीभर के खेदान  
को छमजोर करेगा, किंतु इसे उचित नहीं जारी करना। विषयों की  
रूपवेनशीलता को हमान में रखते हुये उसे आपवादीज द्वारा में रखता  
प उसके लिए भलग प्रहिया नया नरना उचित है। अन्य देशों में  
भी यही प्रकृति अपनाकर गई है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रेंड्र आदि में  
बनाये गये 20 वर्षों में शेषे ही आपवादीज द्वारा निर्विचलित लिए  
गये हैं।

